

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 72/2018

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

भंवरूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र
बीरमराम जाति जाट (चांगल)
निवासी तालाब का रास्ता,
मारवाड मुण्डवा
तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

1अर्जुनराम पुत्र स्व. भंवरूराम 2जगदीश पुत्र स्व. भंवरूराम
3सम्पु पुत्री स्व. भंवरूराम 4मिला पुत्री स्व. भंवरूराम
5कमली पत्नी स्व. भंवरूराम
जातियान जाट कामण्डा की ढाणी, मुण्डवा तहसील मुण्डवा।
6तहसीलदार (भूअ.) नागौर हाल तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :-

1. श्री देवेन्द्र राज कल्ला अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मोहम्मद शाहीद सिलावट, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3 व 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 01.08.19

{1}-अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा ग्राम मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3008 निर्णय दिनांक 08.07.15 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.12.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 11.01.18 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3008 दिनांक 08.07.15 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 की ओर से श्री मोहम्मद शाहीद सिलावट अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि नामान्तरकरण शुरू से ही अवैध व शून्य नामान्तरकरण रहे हैं तथा अवैध व शून्य नामान्तरकरण के विरुद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार अपील की विधि में कोई समय सीमा नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट को उक्त गलत नामान्तरकरण की हाल ही में जानकारी हुई तत्पश्चात राजस्व रेकॉर्ड, नामान्तरकरण व अन्य दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की और अपीलान्ट मात्र साक्षर है ज्यादा पढा लिखा नहीं होने से व कानूनी जानकारी नहीं होने से अपील पेश करने में देरी हुई है। जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार न्याय हित में देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका प्रतिपक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मामले में नरम रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलान्ट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-हस्तगत नामान्तरकरण जैर अपील कतेई गलत, विधि विरुद्ध व शुरू से ही अवैध व शून्य प्रभावी रहे हैं तथा निरस्त किये जाकर राजस्व रेकॉर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने योग्य है।

{2}(II)-चूंकि अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता का नाम तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के पिता का नाम दादा का नाम एक ही जैसा होने से यानि भंवरूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र बीरमराम (भंवरलाल) व भंवरूराम पुत्र बीरमराम समान नाम होने के कारण राजस्व कर्मचारियों की भूल, सद्भाविक त्रुटि के कारण अपीलान्ट की खातेदारी के खसरा नं. 1570 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा का फौतगी नामान्तरकरण सं. 2765 भरा गया जो अवैध व विधि विरुद्ध हुआ, रहा व है तत्पश्चात उतरोतर गलती होती रही है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के अन्य खसरा नं. के साथ उक्त खसरा नं. 1570 रकबा 4.3 बीघा का जो गलत म्यूटेशन हो रखा था तथा रेस्पोडेन्ट्स में से 2 से 5 ने रेस्पो. सं. 1 के हक में तर्कनामा कर देने से जो म्यूटेशन नं. 3008 स्वीकृत हुआ वह भी अपने आप में अवैध व शून्य हुआ, रहा व है।




अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)—चूंकि विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व नामान्तरकरण हेतु जो विधिक प्रक्रिया बनी हुई है उसकी पालना नहीं की गई है। मौके पर आकर खेतों पर कब्जा काश्त के बारे में कोई जानकारी नहीं की न ही उत्तराधिकारीगण व पूर्व काबिज खातेदारों के राजस्व रेकॉर्ड की विधिवत जांच की गयी और लापरवाही पूर्वक अपीलान्त की खातेदारी के खसरा नं. 1570 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा को रेस्पोजेन्ट सं. 1 से 5 के पिता व पति की खातेदारी का होना मानकर उक्त खसरा में रेस्पोजेन्टस का जरिये नामान्तरकरण नाम दर्ज कर दिया है, जबकि आज दिन मौके पर उक्त खसरा नं. 1570 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा पर रेस्पोजेन्टस का कोई कब्जा हक अधिकार नहीं है।

{2}(IV)—अपीलान्त ने अपने पहचान के दस्तावेजात व उक्त खसरा नं. 1570 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो अपीलान्त के पिता बीरमाराम पुत्र मंगलाराम जाट चांगल ने पूर्व खातेदारों से जरिये रजि. विक्रय पत्र खरीद किया उनके विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति व उससे संबंधित अपीलान्त व उसके पिता के नाम के जो दस्तावेजात है, पेश किये गये हैं।


{3}—वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा वकील अपीलान्त की बहस का समर्थन किया तथा माफिक राजीनामा अपील स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जबकि वकील रेस्पोजेन्ट सं. 6 के द्वारा तर्क दिया गया कि भंवरराम पुत्र बिरमाराम अपीलान्त की खातेदारी भूमि वाके मुण्डवा के खसरा नं. 1570 व 1662 हेतु नामान्तरकरण सं. 2765 रेस्पोजेन्ट सं. 1 से 5 के नाम स्वीकृत हुआ है। जबकि विवाद मात्र खसरा नं. 1570 को ही लेकर लाया गया है। नामान्तरकरण सं. 2765 विरासत से संबंधित रहा है तथा विरासत के अधिकार इस न्यायालय स्तर से तय नहीं किये जा सकते हैं। रेस्पोजेन्ट द्वारा अपनी विरासत की भूमि का तर्कनामा रेस्पोजेन्ट अर्जुनराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज किया गया है। जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 3008 जैर अपील दर्ज किया गया है। पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर पारित किये गये नामान्तरकरण से संबंधित पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त किये जाने की अधिकारिता न्यायालय हाजा को नहीं है। इसलिये अपील खारिज की जानी चाहिये।

{4}—उभय पक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा मुण्डवा के खसरा नं. 1570 रकबा 4.03 बीघा व 1662 रकबा 18.18 बीघा भूमि के खातेदार भंवरु पुत्र बिरम के विरासत का नामान्तरकरण सं. 2765 दिनांक 19.07.13 को रेस्पोजेन्ट सं. 1 से 5 के पक्ष में स्वीकृति से असंतुष्ट होकर खसरा नं. 1570 रकबा 4.03 बीघा पुनः अपीलान्त भंवरु के पक्ष में किये जाने तथा बाद में तर्कनामा दस्तावेज के आधार पर रेस्पोजेन्ट सं. 1 से 5 के द्वारा रेस्पोजेन्ट अर्जुनराम के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 3008 जैर अपील पारित किया गया है, को लेकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। वस्तुतः नामान्तरकरण सं. 2765 विरासत से संबंधित है तथा भंवरराम पुत्र बिरमाराम फोट होने पर मुण्डवा के खसरा नं. 1081, 1570, 1662 हेतु नामान्तरकरण जैर अपील रेस्पोजेन्ट सं. 1 से 5 के पक्ष में दिनांक 19.07.13 को स्वीकृत किया गया है। वास्तविक रूप से विरासत किस के पक्ष में है, इस संबंध में निर्धारण करने का इस न्यायालय को अधिकार नहीं है। यहां तक कि नामान्तरकरण सं. 2765 से विरासत के रूप में आयी उक्त भूमि तर्कनामा दिनांक 30.06.15 के द्वारा रेस्पोजेन्ट सं. 1 से 5 के स्थान पर रेस्पोजेन्ट जगदीश पुत्र भंवरराम अकेले के नाम नामान्तरकरण सं. 3008 के द्वारा स्वामित्व का अंकन हो चुका है। पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त किये जाने हेतु अधिकारिता भी इस न्यायालय की नहीं है। नामान्तरकरण प्रक्रिया फिस्कल कार्यवाही है। जिससे पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है। अपीलान्त अपने स्वत्व अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम नियमित न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

{5}— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, जलंधर
अपर कलक्टर, जलंधर